

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

उत्तरी

खण्ड-25] उत्तरी, शनिवार, दिनांक 21 सितम्बर, 2024 ई0 (आदिपद 30, 1946 शाक सम्वत्) [संख्या-38

विषय-सूची

प्रत्येक भाग के पूर अलग-अलग दिने गए हैं, जिससे उनके अलग-अलग खण्ड बन सकें

विषय विषय संख्या पृष्ठ संख्या

सम्पूर्ण गजट का मूल्य ...

भाग 1-विश्वि-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण,

अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नीति

भाग 1-क-नियम, कार्य-विधियाँ, आशुप, विश्विधियाँ इत्यादि विनयों

उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के

अध्यक्ष तथा राज्य परिषद ने जारी किया

भाग 2-आशुप, विश्विधियाँ, नियम और विनय विधान, विनयों के-दीप

सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई

कोर्ट की विश्विधियाँ, भारत सरकार के गजट और दूसरे

राज्यों के गजटों के उद्देश्य

भाग 3-स्वायत्त शासन विभाग का कोड-पत्र, नगर प्रशासन, नौटीकाइ

परिषद्, टाउन परिषद् एवं निर्वान (स्थानीय निकाय) तथा

प्रवासीराज्य आदि के निर्देश विभिन्न आयुक्तों

अथवा विभागाधिकारियों ने जारी किया

भाग 4-निर्देशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड

भाग 5-एकानन्द जगल, उत्तराखण्ड

भाग 6-बिल, नौ भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए

जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिविल कमीटियों

की रिपोर्ट

भाग 7-इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविधि तथा अन्य

निर्वान सम्बन्धी विश्विधियाँ

भाग 8-सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विश्विधियाँ आदि

... 975

... 975

... 1425

भाग 1

विज्ञापित-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नि्युक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

सचिवालय प्रशासन (अधिनियम) अनुभाग-1

प्रोत्पत्ति/विज्ञापित

14 अगस्त, 2024 ई०

संख्या-1110/XXIX(1)/2024/पदो-01/2024-उत्तराखण्ड सचिवालय संघर्ष के अन्तर्गत सशिक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत श्रीमती मधु बिष्ट की नियमित वयनोपरान्त अनुभाग अधिकारी, वेतनमान ₹ 56100-177,500 (वेतन-10) के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अग्रे ई० रूप से पदोन्नत करने की श्री राखणाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्रीमती मधु बिष्ट, अनुभाग अधिकारी को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है।

3- उक्त प्रोत्पत्ति मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल में घोषित रिट याचिका संख्या 394 (एस०बी०)/2021 ललित मोहन आर्ष व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।

4- उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्रीमती मधु बिष्ट, अनुभाग अधिकारी को मुख्यमंत्री कार्यालय (ए०एम०) अनुभाग-04 में तैनात किया जाता है।

5- श्रीमती मधु बिष्ट, अनुभाग अधिकारी को निर्दिष्टित किया जाता है कि वे तत्काल पदोन्नति के पद पर तैनात होने के अनुभाग में कार्यभार ग्रहण करते हुए सचिवालय प्रशासन (अधिनियम) अनुभाग-01 को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

खेलकूद अनुभाग

कार्यालय आदेश

12 जुलाई, 2024 ई०

संख्या-653/VI-3/2024-01(18)/2006-“उत्तराखण्ड खेल विभाग (राजपत्रित) सेवा नियमावली, 2023” के सुसंगत नियमों एवं “वयन सीमित” की संरूपित के आधार पर खेल विभाग के अन्तर्गत सुश्री महेश्वी आर्षा, उ० क्रीड़ा अधिकारी को खिला क्रीड़ा अधिकारी के रिक्त पद (वेतनमान ₹ 44900-142400 वेतन-7) पर तत्काल प्रभाव से पदोन्नत करते हुए वयन अग्रे ई० में खिला क्रीड़ा अधिकारी के पद पर तैनात किये जाने की श्री राखणाल सहर्ष पदोन्नत स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- सुश्री आर्षा को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 (दो) वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाता है।

3- पदोन्नत अधिकारी द्वारा तैनाती वयन पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही वेतन आहरित होगा।

आज्ञा से,

अभिमत सिन्हा,

विशेष प्रमुख सचिव।

ग्रामीण निर्माण अनुभाग
विज्ञापित/पदीन्ति

24 जुलाई, 2024 ई०

संख्या-348/XII-3/2024/(E23077)-उत्तराखण्ड ग्रामीण अभियन्ता सेवा (समूह 'ख') सेवा नियमावली, 2006 धारासंशोधित 2013 के सुसंगत प्रावधानों के अधीन ग्रामीण निर्माण में कार्यरत निम्नलिखित डिप्लोमाधारी कनिष्ठ/अपर सहायक अभियन्ताओं (सिविल) को, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की संसृति दिनांक 22.05.2024 के क्रम में सहायक अभियन्ता (सिविल) वेतनमान 56,100-1,77,500 लेवल 10 के पदीन्ति कोटे के रिक्त पदों पर, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोत्साहित करने हेतु दो वर्ष की परीक्षा अवधि पर रखे जाने तथा उनके नाम के सम्मुख अधिकृत प्रखण्डों में तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र०सं०	अधिकारी का नाम	तैनाती का स्थान (प्रखण्ड का नाम)	1	2	3	प्रखण्ड उतरकारी	प्रखण्ड कोटेशन
1.	श्री रोशन सिंह कपूरा						
2.	श्री विपिन कुमार गार्ग						

2-उक्त पदीन्ति मा० उच्च न्यायालय में घोषित रित याचिका सं०-364/2016(एस०/बी०) आ०को० सिंह एवं अन्य बनाम राज्य व अन्य, रित याचिका संख्या 294/2017(एस०/बी०) गृपाल सिंह भंडारी बनाम राज्य व अन्य एवं मा० लोक सेवा आयोग में घोषित निर्देश याचिका संख्या-20/एस०बी०/डी०बी०/2018 जी०न सिंह धर्मशर्मा बनाम राज्य में पारित अंतिम आदेशों के अधीन रहेगी।

3-सम्बन्धित अधिकारियों को निर्दिष्टित किया जाता है कि तभी तैनाती स्थल पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करते हुए कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

आशा है,
मायावती हकियाल,
अपर सचिव।

वित्त अनुभाग-8

अधिसूचना/स्थानान्तरण

31 अगस्त, 2024 ई०

संख्या-236504/2024/04(100)/XXVII(8)/2019-उत्तराखण्ड लोक सेवाओं के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-27 के अन्तर्गत कार्रवाई एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 228562/2024, दिनांक 30.07.2024 में प्रदत्त विवरण के क्रम में शासन स्तर पर उक्त अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत के गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड के पत्रांक 2044/आयु०एस० को उत्तराखण्ड/स्था०अनु०/एस०कर/2024-25/दे०एन, दिनांक 29.08.2024 के प्रस्तावानुक्रम में सम्मेलन विचार विमर्शपरान्त की गयी संसृति के आलोक में राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत निम्नलिखित वारिकाओं के क्रम-1 में अधिकृत श्रेणी 'क' के निम्नलिखित अधिकारियों (संयुक्त आयुक्त एवं उपायुक्त) को उनके नाम के सम्मुख वारिकाओं के क्रम-4 में अधिकृत कार्यालय/स्थान पर तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1	2	3	4	5
7	श्री अवधेश कुमार उपायुक्त (कोनि0)-4, राज्य उपायुक्त (कोनि0), राज्य कर, धारा-27	कोटहर।	कोटहर।	को अन्तर्गत
8	श्री कार्तिकेय वर्मा उपायुक्त (रिस्क मैने0/डाटा उपायुक्त (वि0अनु0शा0 / प्र0), धारा-27	एना0) राज्य कर, देहरादून।	राज्य कर, हरिद्वार।	को अन्तर्गत
9	श्री विजय कुमार उपायुक्त (कोनि0)-1, राज्य उपायुक्त (कोनि0)-1, राज्य कर, धारा-27	कोटहर।	देहरादून।	को अन्तर्गत
10	श्री तारकेश्वर मिश्रा उपायुक्त (कोनि0)-2, राज्य उपायुक्त (ऑडिट)-1, राज्य कर, धारा-27	कोटहर।	देहरादून।	को अन्तर्गत
11	श्री अर्जुन सिंह राणा उपायुक्त (कोनि0), राज्य कर, धारा-27	कोटहर।	कोटहर।	को अन्तर्गत
12	श्री अजय विश्वर उपायुक्त (कोनि0)-3, राज्य उपायुक्त (वि0अनु0शा0 / प्र0), धारा-27	कोटहर।	देहरादून।	को अन्तर्गत
13	श्री दीपक कुमार उपायुक्त (ऑडिट)-1, राज्य उपायुक्त (कोनि0)-1, राज्य कर, धारा-27	कोटहर।	देहरादून।	को अन्तर्गत
14	श्री मनीष मिश्रा उपायुक्त (वि0अनु0शा0 राज्य कर मुख्यालय, देहरादून।	राज्य कर, धारा-27	देहरादून।	को अन्तर्गत
15	श्री निखिलेश कुमार उपायुक्त (कोनि0), राज्य कर, धारा-27	विभाजनार।	देहरादून।	को अन्तर्गत
16	श्री रंजीव कुमार उपायुक्त (कोनि0)-1, राज्य उपायुक्त (ऑडिट)-2, राज्य कर, धारा-27	कोटहर।	देहरादून।	को अन्तर्गत
17	श्रीमती शैलजा पाठक उपायुक्त (Int.Review), राज्य उपायुक्त (कोनि0)-1, राज्य कर, धारा-27	कोटहर।	देहरादून।	को अन्तर्गत
18	श्री सुरेश कुमार उपायुक्त (राज्य प्रतिनिधि), उपायुक्त (कोनि0)-2, राज्य कर, धारा-27	राज्य कर, देहरादून।	उपायुक्त (कोनि0)-2, राज्य कर, धारा-27	को अन्तर्गत
19	श्री विनय प्रकाश उपायुक्त (ऑडिट)-2, राज्य उपायुक्त (कोनि0)-2, राज्य कर, धारा-27	कोटहर।	देहरादून।	को अन्तर्गत
20	श्री भुवन चन्द पाण्डेय उपायुक्त (ऑडिट)-1, राज्य उपायुक्त (राज्य प्रतिनिधि), राज्य धारा-27	कोटहर।	देहरादून।	को अन्तर्गत
21	श्री यमेश मिश्रा उपायुक्त (ऑडिट)-2, राज्य उपायुक्त (कोनि0)-3, राज्य कर, धारा-27	कोटहर।	देहरादून।	को अन्तर्गत
22	श्री आशीष ठाकुर अपर आयुक्त (ऑडिट विंग), राज्य कर मुख्यालय, देहरादून।	राज्य कर, देहरादून।	धारा-27	को अन्तर्गत
23	श्री विनय कुमार उपायुक्त (ऑडिट)-2, राज्य उपायुक्त (कोनि0), राज्य कर, धारा-27	कोटहर।	देहरादून।	को अन्तर्गत
24	श्रीमती प्रति मनराज उपायुक्त राज्य कर, उपायुक्त (ऑडिट)-1, राज्य कर, धारा-27	मुख्यालय, देहरादून।	हरिद्वार।	को अन्तर्गत
25	श्री इशराक खान उपायुक्त (ऑडिट)-2, राज्य उपायुक्त (वि0अनु0शा0 / प्र0), धारा-27	कोटहर।	राज्य कर, कोटहर।	को अन्तर्गत

02- उपरोक्त अधिकारियों को निर्दिष्ट किया जाता है कि वे अपनी नवीन तैनाती के स्थान पर तत्काल योगदान देते हुए योगदान आख्या वासन/आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

आज्ञा है,
सी0 रविशंकर,
अपर सचिव।

शहरी विकास अनुभाग-3

आधिसूचना

01 सितम्बर, 2024 ई0

संख्या-1132/IV(3)/2024-11(01 निर्वाह)/2023-उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) की धारा-32 की उपधारा (1) एवं 3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल संलग्न सूची में उल्लिखित नगर निगम, अल्मोड़ा, जिला-अल्मोड़ा क्षेत्र के वार्डों के परिधीयन के सम्बन्ध में निम्नलिखित आदेश जारी करते हैं :-

(1) निर्वाचन के प्रयोजन के लिये उक्त नगर निगम क्षेत्र को संलग्न अनुसूची में उल्लिखित वार्डों में विभाजित किया जायेगा।

(2) प्रत्येक वार्ड का परिधीयन ऐसा होना, जैसा संलग्न ऐसा होना, जैसा संलग्न ऐसी की स्तम्भ 1 से 5 में उल्लिखित किया गया है।

नगर निगम अल्मोड़ा, जिला-अल्मोड़ा

क्र. सं.	कक्ष का नाम	वार्ड की सीमा	वार्ड में सम्मिलित मोहल्लों के नाम	जनसंख्या
1	2	3	4	5
1	हनुमान मन्दिर वार्ड	पूर्व में-पूर्वी पटन बाजार पश्चिम में-माल रोड उत्तर में-सैलाखोला वार्ड दक्षिण में-छावनी क्षेत्र	1. पटन बाजार 2. सैलाखोला क्षेत्र 3. वन विभाग आवसीय क्षेत्र व कार्यालय 4. मल्ला जोशीखोला 5. थाना बाजार पश्चिमी 6. एस0पी0 कार्यालय 7. डा0 गुंसाई नर्सिंग होम पश्चिम 8. पश्चिमी जोशीखोला	718
2	सैलाखोला वार्ड	पूर्व में-जौहरी बाजार पूर्वी पश्चिम में-माल रोड उत्तर में-सैलाखोला वार्ड दक्षिण में-हनुमान मन्दिर वार्ड	1. पश्चिमी जौहरी बाजार 2. सैलाखोला 3. खजांची बाजार 4. लोक निर्माण विभाग कार्यालय पश्चिम 5. मल्ला चौधानपाटा 6. सैन बसेरा(वेटरनरी बिल्डिंग) 7. थाना मीहल्ला 8. बांसगाली	719
3	डुबकिया वार्ड	पूर्व में-ग्राम सरसी पश्चिम में-पालिका बाजार मार्ग उत्तर में-राजपुर दक्षिण में-कुआड़ खोला	1. आँकिसर वार्ड/स्टाफ वार्ड 2. डुबकिया 3. हुक्का वन 4. पूर्वी जौहरी बाजार	1129
4	सैमाखोला वार्ड	पूर्व में-राजपुर मल्ला व डुबकिया पश्चिम में-माल रोड उत्तर में-जिला विधिकार्यालय व तहसीलधारा दक्षिण में-सैमाखोला वार्ड	1. नयालखोला 2. मल्ला दन्धा 3. कारखाना बाजार 4. कचहरी बाजार,मल्ला महल 5. महिला विधिकार्यालय क्षेत्र 6. पालिकाप्रबन्धन/सैमाखोला,एस0बीआई0 क्षेत्र	1130

1	2	3	4	5
5	बदरवार वार्ड	पूर्व में-माल रोड पश्चिम में-लौअर माल रोड उत्तर में-सम्पानौला दक्षिण में-आया कन्या इण्टर काला	1. ताला शपलिया 2. लोक निमल विभाग, मुख्य अभियन्ता कायलिय क्षेत्र 3. सुनारी नौला 4. तिलकपुर 5. मल्ला शपलिया	1156
6	सम्पानौला वार्ड	पूर्व में-माल रोड पश्चिम में-लौअर माल रोड उत्तर में-गुरुखानीखोला दक्षिण में-तिलकपुर/सुनारीनौला	1. सम्पानौला 2. खोला मल्ला 3. खोला ताला 4. कनौटकखोला	1156
7	धुनी मन्दिर वार्ड	पूर्व में-माल रोड पश्चिम में-लौअर माल रोड उत्तर में-जीवनपुर ताला गली दक्षिण में-सम्पानौला	1. मल्ला चौसर 2. ताला चौसर 3. ताला गुरुखानीखोला 4. ताला सम्पानौला 5. गुरुखानी खोला	1156
8	नमदेवर वार्ड	पूर्व में-एल0आर0साह मर्ग पश्चिम में-रानीधारा मर्ग उत्तर में-ग्राम खोल व ग्राम दुलागाव दक्षिण में-एन0टी0डी0	1. एन0एच0डी0क्षेत्र (मैस) 2. पाल देवी 3. रानीधारा उत्तर पूर्व 4. डोराईगरी 5. धार की पौनी	1057
9	डोराईगरी वार्ड	पूर्व में-एल0आर0साह मर्ग पश्चिम में-रानीधारा मर्ग उत्तर में-ग्राम खोल व ग्राम दक्षिण में-एन0टी0डी0	1. एन0टी0डी0ग्रामीण क्षेत्र 2. खान मल्ल 3. एन0टी0डी0बाजार क्षेत्र 4. काण्डपाल स्टेट	1056
10	एन0टी0डी0 वार्ड	पूर्व में-टाट बागला व वन क्षेत्र पश्चिम में-ग्राम खोल उत्तर में-पपर सेली दक्षिण में-एल0आर0साह0मर्ग	1. एन0टी0डी0ग्रामीण क्षेत्र 2. खान मल्ल 3. एन0टी0डी0बाजार क्षेत्र 4. काण्डपाल स्टेट	1056
11	हिडाह वार्ड	पूर्व में-एल0आर0साह0मर्ग पश्चिम में-माल रोड उत्तर में-साई बाबा कालोनी, कर्मचल स्कूल दक्षिण में-मोटर मर्ग	1. सूनरा कोट 2. चौधरी खोला 3. हिडाह 4. ताला कर्पूत 5. बक्सी खोला 6. कर्पूत	819
12	त्रिपुरासुन्दरी वार्ड	पूर्व में-सरस्वती हिमेश मन्दिर पश्चिम में-एल0आर0साह0मर्ग उत्तर में-चव पुरिसर दक्षिण में-चपली खोला	1. बिष्ठाकड़ा 2. हिमेश मन्दिर 3. बांसमीडा 4. लूंगरा 5. मल्ला कर्पूत 6. पन खोली	810
13	मिशन कम्पाउण्ड वार्ड	पूर्व में-पालिका मर्ग व मुख्य मकड़ी पश्चिम में-एल0आर0साह0मर्ग उत्तर में-डोंगाधारा व दरबारी नगर दक्षिण में-हिमेश मन्दिर व जीनखान	1. पूर्वी पोखरखोली 2. एडम्स पुरिसर 3. मिशन कम्पाउण्ड 4. तिवाडीखोला	820

1	2	3	4	5
14	लक्ष्मेश्वर वाड	पूर्व में-माल रोड परिवेश में-लोगर माल रोड व ग्रामीण क्षेत्र उत्तर में-पाण्डेखोला दक्षिण में-तला व मला चौसार	1. तला चौसार 2. वीरनपुर 3. तला गली 4. कपीना 5. जाखन देवी 6. लक्ष्मेश्वर 7. करंडिया खोला	1002
15	पनियावडियार वाड	पूर्व में-रानीधारा मार्ग परिवेश में-माल रोड उत्तर में-हार की गुनी दक्षिण में-चौधरीखोला	1. परिवामी रानीधारा 2. उत्तरी लक्ष्मेश्वर 3. पनियावडियार 4. मला गली 5. साईबाबा कालोनी 6. कुमविल विद्यालय क्षेत्र	1002
16	पाण्डेखोला वाड	पूर्व में-लोगर माल रोड परिवेश में-न्यू कलैक्ट्रेट पाण्डेखोला वाड उत्तर में-अल्मोडा-गंगेश्वर मार्ग दक्षिण में-ग्राम अथरवाडी	1. पाण्डेखोला 2. हार की गुनी 3. अथरवाडी आशिक	967
17	न्यू कलैक्ट्रेट पाण्डेखोला वाड	पूर्व में-ग्राम रैखोली परिवेश में-ग्राम बाडी उत्तर में-वन क्षेत्र दक्षिण में-ग्राम बाडी	1. पाण्डेखोला ग्रामीण 2. तिला न्यायालय क्षेत्र 3. मंडिकल कालेज क्षेत्र 4. कचहरी क्षेत्र 5. पोथ की सेमल स्टेट	1039
18	मुरलीमनोहर वाड	पूर्व में-ग्राम सरसा परिवेश में-मुख्य पटल बाजार मार्ग, हनुमान मन्दिर वाड उत्तर में-नरसिंह बाडी दक्षिण में-छावनी क्षेत्र व रुनालखोला	1. पूर्वी पटन बाजार 2. टम्टा मील, मली कार्यालय 3. पूर्वी ग्राम बाजार 4. लोबानीला, रामकृष्ण धाम 5. गुलारामेश्वर	983
19	वमनखोला वाड	पूर्व में-हाली नियाज मार्ग परिवेश में-पूर्वी जौहरी बाजार व गंगोला मील उत्तर में-मीहला दुबकिया व नयालखोला दक्षिण में-टम्टा मील व मली कार्यालय	1. वमनखोला 2. कुजपुर 3. कुआडखोला 4. हवेली हाउस	983
20	नरसिंहवाडी वाड	पूर्व में-ग्राम सरसा परिवेश में-मीहला वमनखोला व मली कार्यालय उत्तर में-कुआडखोला दक्षिण में-लोबानीला, गुलारामेश्वर	1. ऑफिसर्स क्वार्टर 2. कृष्ण दास विद्यालय क्षेत्र 3. नरसिंहवाडी 4. ऑफिसर्स कालोनी	983
21	सिद्धपुर वाड	पूर्व में-एस0एस0बी0 परिसर परिवेश में-मीहला विवाहीखोला उत्तर में-एल0आर0साह0 मार्ग दक्षिण में-दुंगाधारा	1. दरवाही नगर 2. पूर्वी पाखरखोली 3. होमगाड कार्यालय परिया	962
22	बालेश्वर वाड	पूर्व में-सिद्धपुर वाड परिवेश में-मिशन कम्पाउण्ड उत्तर में-होमगाड कार्यालय मार्ग दक्षिण में-मकडी	1. दुंगाधारा 2. बुद्धिपुर 3. बालेश्वर	962

1	2	3	4	5
23	મકેડી વાડ	પૂર્વ મે-નાલા વ મોરલા તિવાલીઓ પરિવેશ મે-ગોલના કરડિયા ઉત્તર મે-મિશન કમ્પાઉન્ડ વલ્લર મે-મોટર માર્ગ દક્ષિણ મે-મોટર માર્ગ	1. લિલમ્પુર 2. મકેડી કન્ટેકપુરમ 3. મકેડી	963
24	દીનાચાન વાડ	પૂર્વ મે-પાલિકા માર્ગ વ મકેડી માર્ગ પરિવેશ મે-ધારાની ઉત્તર મે-મિશન કમ્પાઉન્ડ દક્ષિણ મે-મોટર માર્ગ	1. દીનાચાન 2. નીધર	963
25	આવાસ વિકાસ વાડ	પૂર્વ મે-ગ્રામ વચ વ ગ્રામ જોગલ પરિવેશ મે-ધારાની-વ-દીનાચાન 2.વલ્લા-દીનાચાન 3.આવાસ વિકાસ કોલોની 4.કિશોરી સદન,શિશુ સદન વસાસત	1. દક્ષિણ દીનાચાન	964
26	ગાંધી પાર્ક વાડ	પૂર્વ મે-મોલ રોડ પરિવેશ મે-કનીલી લિક મોટર માર્ગ ઉત્તર મે-અપલિયા મોરલા દક્ષિણ મે-જી03આઈ0૨જી0 પરિસર	1. પરિવેશી દીનાચાન 2. લિલા પુષ્પલ આવાસીય પરિસર 3. આર્થ કન્યા હંટર કોલેજ ક્ષેત્ર 4. દીનાચાન 5. સૈનિક કલ્યાણ કાર્યાલય 6. પૂર્વી જોશીઓ	840
27	તલ્લા	પૂર્વ મે-માલ રોડ અન્મોડા પરિવેશ મે-ગોધર માલ રોડ ઉત્તર મે-તલ્લા અપલિયા દક્ષિણ મે-માલા મગન	1. તલ્લા જોશીઓ 2. કનીલી	760
28	વિવેકાનન્દપુરી વાડ	પૂર્વ મે-છાવની પરિસર પરિવેશ મે-ન્યૂ હંટર કોલોની ઉત્તર મે-તલ્લા જોશીઓ દક્ષિણ મે-રામકૃષ્ણ કુટીર	1. સેન્ટ્રી કન્ટેલ પરિયા 2. નાર પાલિકા યત્થાહી	801
29	સ્યારાઓ વાડ	પૂર્વ મે-ગ્રામ સરસી પરિવેશ મે-જોશીઓ રાજપુર ઉત્તર મે-તલ્લા ઓઢઓ દક્ષિણ મે-હુલકિયા	1. સ્યારાઓ 2. વાહી થીયા	976
30	તલ્લા ઓઢઓ વાડ	પૂર્વ મે-ગ્રામ સરસી પરિવેશ મે-નિયાનગલ ઉત્તર મે-તલ્લા દન્યા દક્ષિણ મે-સ્યારાઓ	1. તલ્લા ઓઢઓ	977

1	2	3	4	5
31	राजपुर वाड	पूर्व में-भ्यारखोला परिवम में-मन्ना दया उत्तर में-नियामगंज दक्षिण में-कुबकिया	1. जीशीखोला राजपुर	976
32	मन्ना राजपुर वाड	पूर्व में-तन्ना ओडखोला परिवम में-मरिजद उत्तर में-महिला बिक्रिमालय दक्षिण में-मन्ना दया	1. मन्ना ओडखोला 2. मन्ना राजपुर	978
33	नन्दादेवी वाड	पूर्व में-न्यू कॉलोनी धारानीला परिवम में-तन्ना कसन उत्तर में-पन खोली दक्षिण में-ताना बाजार वाड	1. नन्दादेवी 2. ताना बाजार बावन सीढ़ी से उत्तरी 3. उथलीखोला 4. गोपालधारा-धारानीला क्षेत्र	984
34	ताना बाजार वाड	पूर्व में-अल्मोड़ा-पौधार मोटर मार्ग परिवम में-माल रोड अल्मोड़ा उत्तर में-उथलीखोला दक्षिण में-नियामगंज	1. तहसीलधारा 2. बावन सीढ़ी का दक्षिणी भाग 3. धारानीला मार्ग से बावन सीढ़ी से पूर्वी भाग 4. ताना पंचायत परिसर	935
35	नियामगंज वाड	पूर्व में-अल्मोड़ा पौधार मोटर मार्ग परिवम में-तहसीलधारा उत्तर में-उथलीखोला वाड दक्षिण में-राजपुर	1. नियामगंज	959
36	धारानीला वाड	पूर्व में-जोगल ग्राम परिवम में-अल्मोड़ा पौधार मार्ग उत्तर में-धीनाखान दक्षिण में-तन्ना ओडखोला	1. तन्ना दया 2. न्यू कॉलोनी धारानीला 3. गोथरी गैर	961
37	रैलापाली	पूर्व में-चौसार परिवम में-ग्राम रैखोली उत्तर में-करडिया खोला दक्षिण में-सरकार की आली	1. रैलापाली ग्रामीण 2. रोडवेज वकेशन परिया	1031
38	न्यू इन्दिरा कॉलोनी वाड	पूर्व में-सिन्धी कन्दोल परिया परिवम में-ग्राम भनार उत्तर में-कनीली दक्षिण में-ग्राम खत्याड़ी	1. न्यू इन्दिरा कॉलोनी 2. माला भनार 3. विवि संकाय परिसर	1032
39	दुंगलखोला	पूर्व में-ग्राम माल परिवम में-छावनी परिसर उत्तर में-खामराकोट दक्षिण में-कुष्ठ रोमी आश्रम	1. उत्तरी दुंगलखोला 2. करबला	1091
40	खामराकोट वाड	पूर्व में-ग्राम सरसो परिवम में-छावनी क्षेत्र उत्तर में-ऑफिसस कॉलोनी दक्षिण में-दुंगलखोला वाड	1. खामराकोट 2. पुलिस लाईन 3. ऑफिसस कॉलोनी न्यू वार्डक	1092

अधिसूचना

01 सितम्बर, 2024 ई0

संख्या-1133/IV(3)/2024-11(01 निर्वा0)/2023-उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959)

की धारा-32 की उपधारा 1 एवं 3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल संलग्न सूची में उल्लिखित नगर निगम पिथौरागढ़, जनपद-पिथौरागढ़ क्षेत्र के वार्डों के परिशिष्ट में सम्मेलन के सम्मेलन में निम्नलिखित आदेश जारी करते हैं :-

(1) निर्वाचन के प्रयोजन के लिये उक्त नगर निगम क्षेत्र को संलग्न अनुसूची में उल्लिखित वार्डों में विभाजित किया जायेगा।

(2) प्रत्येक वार्ड का परिशिष्टन ऐसा होगा, जैसा संलग्न अनुसूची के स्तम्भ-1 से 6 में उल्लिखित किया गया है।

नगर निगम पिथौरागढ़

क्र.सं.	वार्ड संख्या	वार्ड का नाम	वार्ड की जनसंख्या	वार्ड की सीमा	वार्ड में सम्मिलित गाँवों के नाम
1	2	3	4	5	6
1-	1	पियाना	1408	उत्तर-कुर्वाली दक्षिण-टकाड़ी गाँव पूर्व-टकाना कॉलोनी पश्चिम-न्यू बगोटी	पियाना नर्स सेन्टर
2-	2	टकाना कॉलोनी	1593	उत्तर-परिवर्ती सिनेमा लॉडन, दक्षिण-पेवाली, दाहिमखोला पूर्व-मदेलवाडा पश्चिम-पियाना	टकाना-कालोनी
3-	3	शिव बिहार	1475	उत्तर-धनौडा, लिन्दपूडा दक्षिण-भाटकोट पूर्व-रई, भाटकोट पश्चिम-लिन्दपूडा	धारपूला रोड शिव बिहार कॉलोनी न्यू रई
4-	4	लिन्दपूडा	1420	उत्तर-धनौडा एवं पुनेड़ी महर की दक्षिण-सिमलौर पूर्व-शिवाबिहार पश्चिम-पुनेड़ी	लिन्दपूडा बैक रोड धारा पथर रोड
5-	5	ज्याति कालोनी	1430	उत्तर-पितरौटी, पदमपुर दक्षिण-पियाना पूर्व-पितरौटी, शिवालय पश्चिम-जगदम्बा कॉलोनी, पदमपुर	टकाना पूछ आवास कॉलोनी विकास भवन

1	2	3	4	5	6
6-	6	हिवालय	1470	उत्तर-पुरानी बाजार दक्षिण-टकाना कालीनी पूर्व-परिचमी सिनेमालाईन पश्चिम-जामलि कालीनी	हिवालय कमलामणि भवन राजा होटल
7-	7	भाटकोट	1417	उत्तर-रई, दौला, शिव बिहार दक्षिण-मन्दी जाखनी, तिलडुकर पूर्व-दौला पश्चिम-शिवाबिहार	भाटकोट मिश्र भाटकोट विकास नगर
8-	8	रई	1485	उत्तर-धनौडा, नैला-बरले दक्षिण-भाटकोट पूर्व-दौला पश्चिम-शिवाबिहार	रई
9-	9	जाखनी	1707	उत्तर-मन्दी जाखनी दक्षिण-निराडा पूर्व-विण पश्चिम-तिलडुकर, निराडा	जाखनी मन्दी जाखनी
10-	10	विण	1612	उत्तर-दौला, मन्दी जाखनी दक्षिण-बैरग ग्राम की सीमा पूर्व-कामनी की सीमा पश्चिम-जाखनी	विण
11-	11	खडकोट	1568	उत्तर-पुनेडी दक्षिण-पदमपुर कालीनी पूर्व-सिमलौर पश्चिम-विवेकानन्द कालीनी दक्षिण-चण्डाक	खडकोट, घण्टाकरग
12-	12	विवेकानन्द कालीनी	1568	उत्तर-दक्षिण-चण्डाक पूर्व-खडकोट पश्चिम-बजटी, दक्षिण-चण्डाक	विवेकानन्द कालीनी लिक रोड
13-	13	सिमलौर	1545	उत्तर-पुनेडी, लिन्दुडा दक्षिण-पुरानी बाजार, निराडा पूर्व-पुरानी बाजार, नया बाजार पश्चिम-खडकोट	सिमलौर जिला चिकित्सालय लाशवार रोड नगरपालिका
14-	14	निराडा	1460	उत्तर-पदमपुर कालीनी, खडकोट दक्षिण-पुरानी बाजार पूर्व-सिमलौर पश्चिम-पदमपुर कालीनी	निराडा शाना कोतवाली
15-	15	पुरानी बाजार	1480	उत्तर-सिमलौर दक्षिण-पूर्वी सिनेमालाईन, हिवालय पूर्व-नया बाजार पश्चिम-सिमलौर, निराडा	पुरानी बाजार गंधी नगर निराडा

1	2	3	4	5	6
16-	16	नया बाजार	1435	उत्तर-सिमलौर, आटकोट दक्षिण-कौमोड़ पूरब-न्यू तिलठकरी पश्चिम-पुरानी बाजार, पूर्वी सिनेमालाईन	नया बाजार धर्मशाला लाईन
17-	17	पश्चिमी सिनेमालाईन	1668	उत्तर-पूर्वी सिनेमालाईन दक्षिण-टकाना-कालीनी पूरब-पूर्वी सिनेमालाईन पश्चिम-शिवालया	पश्चिमी सिनेमालाईन
18-	18	पूर्वी सिनेमालाईन	1705	उत्तर-पुरानी बाजार दक्षिण-कौमोड़ पूरब-कौमोड़ पश्चिम-पश्चिमी सिनेमालाईन	पूर्वी सिनेमालाईन शिवालया
19-	19	मदेलवाडा	1604	उत्तर-डूंगरानी दक्षिण-पनलोह पूरब-कौमोड़, धर्मशाला पश्चिम-टकाना कालीनी	विद्युत सब स्टेशन मदेलवाडा रोडवेज वकरोप
20-	20	धर्मशाला	1635	उत्तर-कौमोड़, निराडा दक्षिण-पनलोह, किरोगांव पूरब-सरहदी नाला धैयाना गांव पश्चिम-मदेलवाडा	धर्मशाला निराडा चौरपूला
21-	21	निराडा	1595	उत्तर-तिलठकरी, कौमोड़ दक्षिण-धर्मशाला पूरब-जाखनी पश्चिम-धर्मशाला, कौमोड़	न्यू बिपरशिवा टेलीफोन एक्सचेंज खलगाडा निराडा
22-	22	कौमोड़	1655	उत्तर-न्यू तिलठकरी, डूंगरानी दक्षिण-धर्मशाला पूरब-तिलठकरी, निराडा पश्चिम-डूंगरानी, मदेलवाडा	कौमोड़, कौमोड़ कोट, कौमोड़ खक निराडा
23-	23	तिलठकरी	1628	उत्तर-मल्ली जाखनी, आटकोट दक्षिण-निराडा पूरब-जाखनी, मल्ली जाखनी पश्चिम-कौमोड़, न्यू तिलठकरी	पुलिस लाईन रोड सल्युडी
24-	24	मल्ली जाखनी	1535	उत्तर-आटकोट, दौला दक्षिण-जाखनी, विम पूरब-दौला पश्चिम-तिलठकरी	मल्ली जाखनी विठ्ठकानन्द स्कूल
25-	25	पुनेडी	1625	उत्तर-पुनेडी महार दक्षिण-धैरा-खण्डक पूरब-सिरपाटा ग्राम की सीमा, लिन्दपूडा पश्चिम-धैरा-खण्डक	कैदार पुनेडी, कान्ना, आई.टी.आई. वन विभाग कालीनी, समलड

1	2	3	4	5	6
26-	26	सैरा-घण्टा क	1568	उत्तर- धारीपानी, मिशन घण्टाक, पुनेडी विवेकानन्द कॉलोनी, खडकोट, बनेडी पुरब- खडकोट, पुनेडी परिवम- वन विभाग व पपदेक की सीमा, बनेडी	सैरा, देवपुरी, पाटा घण्टाक, सिकडानी
27-	27	जगदम्हा कालोनी	1710	उत्तर- पाण्डेगांव, पदमपुर कालोनी दक्षिण- विधान, कुजौली पुरब- जगति कालोनी परिवम- कुजौली	जगदम्हा कालोनी स्टेडियम, कुजौली
28-	28	कुजौली	1668	उत्तर- जगदम्हा कालोनी, न्यू बनेडी दक्षिण- विधान पुरब- जगदम्हा कालोनी, विधाना परिवम- न्यू बनेडी	सरस्वती विहार कालोनी, जगदम्हा कालोनी, जी.आर्.डी.सी. रोड
29-	29	कुंजाखानी	1442	उत्तर- न्यू तिलहकरी, कल्यापुरी दक्षिण- अदलवाडा पुरब- कुमौड परिवम- कल्यापुरी	कुमौड हिलवाजा हनुमान मन्दिर कुंजाखानी
30-	30	न्यू तिलहकरी	1508	उत्तर- आटकोट, नया बजार दक्षिण- कुंजाखानी, तिलहकरी, कुमौड पुरब- तिलहकरी परिवम- कल्यापुरी, नया बजार	सिवाई कालोनी नया बस स्टेशन
31-	31	कल्यापुरी	1443	उत्तर- नया बजार दक्षिण- कुंजाखानी, न्यू तिलहकरी पुरब- कुंजाखानी परिवम- पूर्वी सिनेमालाईन	समाट हिल कल्यापुरी
32-	32	धनौडा	1716	उत्तर- सिलौली ग्राम की सीमा। दक्षिण- लिन्दपूडा, शिव विहार पुरब- नेहा-बस्ती परिवम- ग्राम सियाटा की सीमा, लिन्दपूडा	धनौडा, डैन बास्को
33-	33	नेहा-बस्ती	1421	उत्तर- ग्राम घण्टा/सिलौली की सीमा। दक्षिण- रई, दौला पुरब- डी.आर.डी.ओ. की सीमा एवं घण्टा ग्राम की सीमा परिवम- धनौडा	नेहा, बस्ती
34-	34	ऐचौली	1650	उत्तर- टकाना-कालोनी दक्षिण- धारी धमौड की सीमा पुरब- पनौट परिवम- टकाडी ग्राम, दाहिमखोला ग्राम की सीमा	ऐचौली, खली गांव

1	2	3	4	5	6
35-	35	पनोटी	1598	उत्तर-चन्द्रगंगा, भदेलवाडा दक्षिण-धौली धौली, गैना की सीमा पूर्व-किरीगांव की सीमा पश्चिम-ऐचोली	न्यू ऐचोली, मलिकालान स्कूल ऐडियान स्कूल
36-	36	दौला	1648	उत्तर-नेहा-बरले,डी.आर.डी.ओ. की सीमा दक्षिण-विण, गाम जौरसी की सीमा पूर्व-मखोलिया एवं देवलाल गांव की सीमा पश्चिम-मल्ली जाखनी, भाटकोट	दौला, ए.पी.एस. एवन बिहार कालौनी
37-	37	बोटी	1588	उत्तर-सेरा-घोडाक दक्षिण-न्यू बोटी पूर्व-सेरा-घोडाक पश्चिम-पपदेव गाम	बोटी, ओड, देवलाल
38-	38	न्यू बोटी	1558	उत्तर-बोटी दक्षिण-पियाना और टकाडी का सरहद पूर्व-पाण्डेगांव, कुजौली पश्चिम-हुडेली, पपदेव गाम की सरहद।	न्यू बोटी, जी.आई.सी
39-	39	पाण्डेगांव	1670	उत्तर-विदेकानन्द कालौनी, पदमपुर दक्षिण-जागदम्बा कालौनी, कुजौली पूर्व-पदमपुर कालौनी पश्चिम-न्यू बोटी, कुजौली	पाण्डेगांव, कंदार कालौनी
40-	40	पदमपुर	1591	उत्तर-खडकोट, विदेकानन्द कालौनी दक्षिण-जागदम्बा कालौनी पूर्व-जागति कालौनी, पिरौटा पश्चिम-पाण्डेगांव, विदेकानन्द कालौनी	पाण्डेगांव, पदमपुर कालौनी, निक रांड

आदिपत्र

03 सितम्बर, 2024 ई०

संख्या-1156/IV(3)/2024-11(03 निर्वा०)/2022-उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007) की धारा-11क एवं धारा-11ख की उपधारा (1) के अधीन शांति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल संलग्न सूची में उल्लिखित नगर पालिका परिषद, कर्णप्रयाग, जनपद-बगोली क्षेत्र के वार्डों के परिशिष्ट में निम्नलिखित आदेश जारी करते हैं :-

(1) निर्वाचन के प्रयोजन के लिए उक्त नगर पालिका परिषद क्षेत्र को संलग्न अनुसूची में उल्लिखित वार्डों में विभाजित किया जायेगा।

(2) प्रत्येक वार्ड का परिशिष्टन ऐसा होगा, जैसा संलग्न अनुसूची के स्वाम 1 से 5 में उल्लिखित किया गया है।

नगर पालिका परिषद, कर्णप्रयाग, जनपद, बगोली

क्र०सं०	वार्ड का नाम	वार्ड की जनसंख्या	वार्ड की सीमा	वार्ड/ग्रामि० क्षेत्र में सम्मिलित क्षेत्र मोहल्ला आदि के नाम
1	2	3	4	5
1	गांधीनगर	1506	पूरब-सी०एम०पी० बौण्ड परिवस-दीन दयाल पार्क उत्तर-उम महेश्वर अन्य क्षेत्र दक्षिण-संगम	गांधीनगर, पुजारी गांव, शांति नगर।
2	ईला बगोली	1512	पूरब-पाहली परिवस-घट गाड़ गादेरा उत्तर-पिण्डर नदी दक्षिण-कुण्डेला	ईलाबगोली, रिठोली, पाहली रोड के ऊपर, लखेट रोड के ऊपर, कुण्डेला, पाल, मजयाट, काफलवाली, पलेठी, सांकासी रोड ऊपर।
3	आई०टी०आई०	1171	पूरब-दाही परिवस-उम महेश्वर आश्रम उत्तर-देवी लाल की मकान। दक्षिण-पिण्डर नदी	आई०टी०आई० क्षेत्र, प्रेमनगर, बड़गुणा नगर, राज नगर, विद्युत कॉलोनी।

1	2	3	4	5
4	तहसील कॉलोनी	1238	पूरब-घट गाड गादेरा पश्चिम-नौटी बैण्ड उत्तर-सिमली रोड दक्षिण-नौटी रोड	राजकीय डुन्दर कॉलेज कॉलोनी, तहसील कॉलोनी, वन विभाग, घट गाड, ब्लॉक थाना, पी0डब्ल्यूडी0 डाक बंगला।
5	सुभाष नगर सिमली	1366	पूरब-आटा गाड पश्चिम-कमेडा गादेरा उत्तर-पिण्डर नदी दक्षिण-नौटी रोड	सुभाष नगर, रामपुर सेवा, सांकासी रोड के नीचे का हिस्सा, जखेड रोड के नीचे का हिस्सा, सिमली संपूर्ण क्षेत्र।
6	बस स्टेशन	1006	पूरब-सुभाष नगर पश्चिम-पंच पुलिसा उत्तर-संगम दक्षिण-अपर बाजार	बस स्टेशन, उमा देवी मार्केट रोड से नदी के ओर, पेट्रोल पंप, बाल्मीकि बस्ती, कर्ण मंदिर परिसर, नया बस अड्डा, वकील कॉलोनी।
7	अपर बाजार	1098	पूरब-कमेडा गादेरा पश्चिम-रेजर भवन उत्तर-बालदम रोड दक्षिण-नौटी बैण्ड	अपर बाजार, बिक्रिआ कॉलोनी, ली0नि0वि0 कॉलोनी/कायालय मौडल्ला।
		थागा-8897		

अधिसूचना

03 सितम्बर, 2024 ई0

संख्या-1157/IV(3)/2024-11(03 निर्वा0)/2022-उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (अनुकूलन एवं उपाचार्य आदेश, 2007) की धारा-11क एवं धारा-11ख की उपधारा (1) के अधीन शांति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल संलग्न सूची में उल्लिखित नगर पालिका परिषद, रामनगर, जनपद-नैनीताल क्षेत्र के वार्डों के परिशिष्टन के सम्बन्ध में निम्नलिखित आदेश जारी करते हैं :-

(1) निर्वाचन के प्रयोजन के लिए उक्त नगर पालिका परिषद क्षेत्र को संलग्न अनुसूची में उल्लिखित वार्डों में विभाजित किया जायेगा।

(2) प्रत्येक वार्ड का परिशिष्टन ऐसा होगा, जैसा संलग्न अनुसूची के स्तम्भ 1 से 5 में उल्लिखित किया गया है।

नगरपालिका परिषद, रामनगर (नैनीताल)

क्रम	वार्ड का नाम	02	03	04	05	वार्ड की जनसंख्या (वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार)
1	पम्पापुरी	पूरब-भुवनेश्वर कुमार के घर से जोशी के घर तक जाने वाली सड़क कोशी नदी दक्षिण-भुवनेश्वर कुमार के घर से अजय विष्ट की दुकान/घर से होवे हुए विवेक विष्ट के घर तक जाने वाली सड़क।	पूरब-कोशी नदी। पूरब-भुवनेश्वर कुमार के घर से चौहान जी सड़क, लक्ष्मीदत्त के घर से चौहान जी के घर तक (कोशी नदी के किनारे)। उत्तर-कोशी नदी। दक्षिण-देवा रोड, श्री लक्ष्मीदत्त के घर के सामने से होवे हुए किशन सिंह मेहता के घर तक, वहां से श्री कोटिया जी के सामने स्थित नाला कोशी नदी तक।	भरतपुरी का पूर्वी भाग दृगापुरी का उत्तरी भाग, कौशल्यापुरी पम्प हाउस	3198	
2	दृगापुरी/भरतपुरी	पूरब-कोशी नदी। पूरब-कोशी नदी को जाने वाली सड़क, लक्ष्मीदत्त के घर से चौहान जी के घर तक (कोशी नदी के किनारे)। उत्तर-कोशी नदी। दक्षिण-देवा रोड, श्री लक्ष्मीदत्त के घर के सामने से होवे हुए किशन सिंह मेहता के घर तक, वहां से श्री कोटिया जी के सामने स्थित नाला कोशी नदी तक।			3452	
3	शिवपुरी	पूरब-कोशी नदी। पूरब-देवा रोड से भुवनेश्वर कुमार की दुकान से लक्ष्मीदत्त के घर तक तथा जंगलाल की बाउन्सी, श्री भवान सिंह के घर से पर्वतीय समा लखनपुर तक। उत्तर-देवा रोड श्री लक्ष्मीदत्त के घर से श्री किशन सिंह मेहता के घर तक, वहां से श्री कोटिया जी के घर के सामने नाला कोशी नदी तक। दक्षिण-लखनपुर रोड से होवे हुए किशन सिंह मेहता के घर तक, वहां से श्री कोटिया जी के घर के सामने स्थित नाला कोशी नदी तक।		दृगापुरी का दक्षिणी भाग, शिवपुरी, देवा रोड, शिवपुरी का उत्तरी भाग, देवा रोड के आस-पास का क्षेत्र।	2941	

1	2	3	4	5
4	पैठड़ाव- फॉरेस्ट कम्पाउंड	पूरब-कोसी नदी। पश्चिम-फॉरेस्ट कम्पाउंड एवं NH-309 उत्तर-डिग्गी कॉलोनी होते हुए हल्द्वानी दक्षिण-कोसी रोड से रामा मंदिर होते हुए ट्रांसपोर्ट नगर छोटा बैराज तक।	फॉरेस्ट कम्पाउंड, पैठड़ाव, वॉटर फर्क्स कम्पाउंड, हनुमानगढ़ी, कैनाल कॉलोनी आवासीय परिसर, रामामंदिर क्षेत्र।	-3463
5	बाजार	पूरब-जी0पी0पी0 स्कूल के पश्चिम में स्थित सड़क, श्री मिथलेश शर्मा के घर के सामने तक। पश्चिम-नगरपालिका से आर्ध समाज मंदिर तक NH-309 उत्तर-आर्ध समाज से रामा मंदिर तक कोसी रोड। दक्षिण-NH-309 नगरपालिका से डाइयन सिकल स्टोर तक।	बाजार, लक्ष्मिपुरिया लार्डन, ज्वाला लार्डन, बजाना लार्डन, नई लार्डन, पुरानी तहसील क्षेत्र, टेंगा लार्डन, कुम्हार बस्ती।	3342
6	बधावर-मोती महल	पूरब-फीडर कैनाल एवं ट्रांसपोर्ट नगर होते हुए हल्द्वानी मार्ग। पश्चिम-जी0पी0पी0 स्कूल के पश्चिम में स्थित सड़क, श्री मिथलेश शर्मा के घर के सामने तक। उत्तर-रामामंदिर। दक्षिण-फीडर कैनाल।	मोतीमहल, बधावर, छोटा बैराज के सामने वाली आबादी, पुरानी आबकाली बालीक बस्ती।	3224
7	पूर्वी गैलरघट्टी	पूरब-एस0टी0पी0 प्लॉट से होते हुए कोसी नदी से लगता हुआ वन क्षेत्र। पश्चिम-मगत सिंह तिराहे से मंगलार रोड होते हुए मंगल बाजार चौराहे तक। उत्तर-फीडर कैनाल नहर। दक्षिण-मंगल बाजार चौराहे से समथान घाट तक।	मिहार बस्ती, कुष्ठ आश्रम, युव सागर कॉम्प्लेक्स, नई बस्ती गैलरघट्टी, समथान क्षेत्र।	3708
8	मगानांगल	पूरब-मंगलार रोड। पश्चिम-अशोक पेट्रोल पम्प से थाने पंजाब तक NH-309 उत्तर-मगत सिंह तिराहे से अशोक पेट्रोल पम्प तक। दक्षिण-द्विकिया कैनाल मंगलार रोड से लेकर NH-309	आशियाना कॉलोनी, पंचवटी कॉलोनी, हुसैनी मस्जिद वाला क्षेत्र, हुल्डीवाल मार्केट, पंजाबी कॉलोनी।	2817
9	गैलरघट्टी पश्चिमी	पूरब-फीडर कैनाल से मंगल बाजार चौराहे तक मंगलार रोड। पश्चिम-NH-309 काशीपुर रोड। उत्तर-द्विकिया कैनाल मंगलार रोड से लेकर NH-309 दक्षिण-कपडी रोड।	बाग बस्ती, कदीमी मस्जिद वाला क्षेत्र व नगीना मस्जिद वाला क्षेत्र	2884

1	2	3	4	5
10	शालिकुल	पूरब-फारेस्ट / रोडवेज की वाउड्रीवाल। पहियम-कोटहार रोड गार्ड फारेस्ट। उत्तर-लखनपुर चूगी चौराहे स्थित लोकेश कठपल की दुकान से पूरब की चलते हुए श्रीमती शीला जखमोला के घर तक जाने वाली सड़क। दक्षिण-कोटहार में सुन्ना बिस्ट के घर से पूरब दिशा को होते हुए इन्दा कॉलोनी में श्री चन्दन के घर तक वहां से श्री शिवेन्द्र के घर से होते हुए रोडवेज की पहियमी दीवार तक।	शालिकुल, इन्दा कॉलोनी, लखनपुर, उत्तरी खताड़ी का क्षेत्र।	2763
11	ईदगाह	पूरब-NH-309 से रोडवेज बस अड्डे से नगरपालिका तक। पहियम-बड़ा कब्रिस्तान। उत्तर-रोडवेज बस अड्डे की दीवार, तलबूर ठेकेदार के घर से होते हुए मधु देवल के घर तक सड़क। दक्षिण—NH-309 से नगरपालिका होते हुए खताड़ी जाने वाला मार्ग, फायर स्टेशन तक।	आरखान लाला, ईदगाह वाला क्षेत्र, पोस्ट ऑफिस वाला क्षेत्र, हॉस्पिटल का क्षेत्र, घास मण्डी-बिजली घर का आवासीय क्षेत्र।	2950
12	ग्राइमरी स्कूल खताड़ी	पूरब-धुव के चौराहे से ताल मरिजद होते हुए सादाब के किकेटर के घर तक, मालकीय मद्रसे से सरफात के घर तक, अजीज खान के घर से होते हुए ग्राइमरी स्कूल के दक्षिणी कोने तक। पहियम-कोटहार रोड, गार्ड फारेस्ट। उत्तर-धुव के चौराहे से कोटहार रोड तक। दक्षिण-ग्राइमरी स्कूल खताड़ी का पारिधर/मैदान।	विपिन विहार, शिव मंदिर कॉलोनी, महबूब पेंटर के घर वाला क्षेत्र।	3509
13	ताल मरिजद	पूरब- बड़ा कब्रिस्तान की पूर्वी दीवार। पहियम- धुव के चौराहे से ताल मरिजद होते हुए सादाब किकेटर के घर तक। उत्तर-मधु देवल के घर धुव के चौराहे तक। दक्षिण-दुसैन मंडिकल स्टोर से जाकिर ठेकेदार के घर से होते हुए सादाब किकेटर के घर तक।	ताल मरिजद का क्षेत्र, धुव के चौराहे वाला क्षेत्र, युसुफगानी वाले के घर वाला क्षेत्र, छप्पर वाली मरिजद की उत्तरी आबादी।	3092
14	मौली मरिजद	पूरब-फायर स्टेशन से कादिरी मार्केट तक व हाफिज करीम के घर तक। सड़क। पहियम-जलीस के घर से इन्दियाल के घर तक व अमीर खासाब के घर तक	मीट मार्केट वाला क्षेत्र, टंकी चौराहे वाला क्षेत्र, छप्पर वाली मद्रसे वाला क्षेत्र व वागमौलिक बरती खताड़ी।	3326

1	2	3	4	5
15	तहसील	पूरब-जी0जी0आइ0सी0 नॉर्मल गेट से नाला, कानिया नहर डेला रोड तक। पहिचम-कोटद्वार रोड से काकू की दुकान/पनचक्की से होकर जाने वाली नहर डेला रोड तक। उत्तर-गंडमरी स्कूल से लगता हुआ मार्ग। दक्षिण-चौरपानी नहर।	न्यायालय परिसर, बौड अॉकिस, ऊँटपड़ा टीला, ऊँटपड़ा नहर की आबादी व सली कॉलोनी।	3522
16	ऊँटपड़ा	पूरब-कायर स्टेशन से लेकर ऊँटपड़ा जाने वाला मार्ग। पहिचम-जी0जी0आइ0सी0 गेट से ऊँटपड़ा की ओर जाने वाला नाला। उत्तर-जी0जी0आइ0सी0 गेट से टंकी चौराहे तक तथा वहाँ से कायर स्टेशन तक सड़क। दक्षिण-रामनगर कानिया नहर।	मदीना मस्जिद वाला क्षेत्र की आबादी। पशु बाजार क्षेत्र वाली आबादी। कुरैशी चौक के पास की आबादी।	3266
17	टाउन हॉल	पूरब-नगरपालिका कार्यालय से थाने पूजाब तक NH-309 पहिचम-लूँटावड चौराहे से लेकर ऊँटपड़ा तक केनाल। उत्तर-नगरपालिका कार्यालय से कायर स्टेशन तक जाने वाला खताड़ी मार्ग। दक्षिण-थाने पूजाब से लेकर शिवलालपुर चुंगी NH-309 शिवलालपुर चुंगी से लूँटावड चौराहे तक डेला मार्ग।	नगरपालिका आवासीय परिसर, रेलवे पड़ाव, रेलवे कॉलोनी, काशीपुर रोड का चलासी मार्ग, लक्ष्मी विहार।	3330
18	शिवलालपुर	पूरब-थाने पूजाब से तेलीपुरा रोड होते हुए सीमा ग्राम तेलीपुरा तक। पहिचम-लूँटावड चौराहे से मारुट हिनाई स्कूल होते हुए सीमा ग्राम लूँटावड तक। उत्तर-थाने पूजाब से काशीपुर रोड होते हुए शिवलालपुर चुंगी होते हुए रेलवे क्रासिंग होते हुए लूँटावड चौराहे तक। दक्षिण-सीमा ग्राम तेलीपुरा, नया गांव चौहान, लूँटावड की सीमा तक।	दीनदयाल अपार्टमेंट, बुलेश हॉस्पिटल वाला क्षेत्र, शिवलालपुर पाण्डे, मण्डी समिति की आबादी, शिवलालपुर रिचनियां की आबादी।	1830

1	2	3	4	5
19	गाजाना-कानिया	पूरब-लूटावड़ चौपाई से भाउट सिनाई स्कूल होते हुए सीमा ग्राम लूटावड़ तक। परिचम-सीमा ग्राम हिमालपुर व धर्मपुर, नकरिया व सीमा ग्राम किशनपुर पाण्डेय। उत्तर-लूटावड़ चौपाई से देवा रोड होते हुए सीमा ग्राम हिमालपुर तक। दक्षिण-सीमा ग्राम धनपुरधौसी।	बसन्त विहार कॉलोनी, मानिला विहार, फूड कॉलोनी, गौजानी, मेहरा कॉलोनी, बक्खल कॉलोनी, चौरपाणी का दक्षिणी हिस्सा।	2115
20	विशकट	पूरब-कोटद्वार रोड से काकू की टुकान / पनचक्की से होकर जाने वाली नहर देवा रोड तक। परिचम-सीमा ग्राम हिमालपुर/नाला। उत्तर-फौरस्ट। दक्षिण-देवा रोड होते हुए सीमा ग्राम हिमालपुर नाले तक।	भट्ट कॉलोनी, जोशी कॉलोनी, नेगी कॉलोनी, रावल कॉलोनी, रावल एनक्लेव, शिव नगर गंगानगर, नीलकण्ठ, गंगोत्री विहार, चौरपाणी, गौजानी का उत्तरी भाग।	3292
कुल जनसंख्या-62024				

अधिसूचना

03 सितम्बर, 2024 ई0

संख्या-1158/IV(3)/2024-11(03 निर्वाह0)/2022-उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (अनुकूलन एवं उपन्यास आदेश, 2007) की धारा-11क एवं धारा-11ख की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल संलग्न सूची में उल्लिखित नगर पालिका परिषद, नाला, जनपद-ऊधमसिंह नगर क्षेत्र के वार्डों के परिशिष्टन के सम्बन्ध में निम्नलिखित आदेश जारी करते हैं :-

(1) निर्वाचन के प्रयोजन के लिए उक्त नगर पालिका परिषद क्षेत्र की संलग्न अनुसूची में उल्लिखित वार्डों में विभाजित किया जायेगा।
(2) प्रत्येक वार्ड का परिशिष्टन ऐसा होगा, जैसा संलग्न अनुसूची के स्वम्भ 1 से 5 में उल्लिखित किया गया है।

नगर पालिका परिषद नाला, जनपद ऊधमसिंहनगर:-

क्र0	वार्ड का नाम व वार्ड की सीमा	वार्ड में सम्मिलित मोहल्लों का नाम	जनसंख्या
1	2	3	4
1	सीधू कॉलोनी वार्ड (1)	पूरब : ग्राम बिन्दुखला उत्तर : वन विभाग सीमा नौनीवाल दक्षिण : वार्ड सं0 2	1056
5			

1	2	3	4	5
2	पंचेश्वर मन्दिर	पूरुब : ग्राम जवाहर नगर पश्चिम : हरेदानी-किच्छा राजमार्ग उत्तर : बार्ड सं0 1 दक्षिण : बार्ड सं0 3	पंचेश्वर मन्दिर, नगला मार्कट	1235
3	रेलवे स्टेशन	पूरुब : ग्राम जवाहर नगर पश्चिम : हरेदानी-किच्छा राजमार्ग उत्तर : बार्ड सं0 2 दक्षिण : बार्ड सं0 4	रेलवे स्टेशन, नगला मार्कट	1196
4	जवाहर नगर	पूरुब : ग्राम जवाहर नगर पश्चिम : हरेदानी-किच्छा राजमार्ग उत्तर : बार्ड सं0 3 दक्षिण : बार्ड सं0 5	जवाहर नगर गेट कालोनी, गोलपोट मार्कट	1276
5	शालिग्रही गेट	पूरुब :- ग्राम जवाहर नगर एवं शालिग्रही पश्चिम : हरेदानी-किच्छा राजमार्ग उत्तर : बार्ड सं0 4 दक्षिण : ग्राम गुर्का गौरी,	शालिग्रही गेट मार्कट, गोलपोट कालोनी	1267
6	नगला मार्कट	पूरुब : हरेदानी-किच्छा राजमार्ग पश्चिम : पतननगर विस्वविद्यालय परिसर उत्तर : वन विभाग सीमा नैनीताल दक्षिण : बार्ड सं0 7	नगला बाइपास निराहा, नगला मार्कट	1315
7	गोलपोट	पूरुब : हरेदानी-किच्छा राजमार्ग पश्चिम : पतननगर विस्वविद्यालय परिसर उत्तर : बार्ड सं0 6 दक्षिण : ग्राम गुर्का गौरी, आनंदपुर	नगला पेट्रोल पंप, नगला गेट, शिव मन्दिर	1268

03 सितम्बर, 2024 ई0

आवास योजना

संख्या-1159/IV(3)/2024-11(03 निर्वा0)/2022-उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007) की धारा-11क एवं धारा-11ख की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल संलग्न सूची में उल्लिखित नगर पालिका परिसर, किच्छा, जनापद-ऊखमसिंह नगर क्षेत्र के बार्डों के परिधीय क्षेत्रों में निम्नलिखित आदेश जारी करते हैं :-

(1) निर्वाचन के प्रयोजन के लिए उक्त नगर पालिका परिसर क्षेत्र को संलग्न अनुसूची में उल्लिखित बार्डों में विभाजित किया जायेगा।

(2) प्रत्येक बार्ड का परिधीय क्षेत्र ऐसा होगा, जैसा संलग्न अनुसूची के स्वाम 1 से 5 में उल्लिखित किया गया है।

आज्ञा से,

प्रदीप कुमार शर्मा,

उप सचिव।

नगर पालिका परिषद, किच्छा, जनपद उधमसिंहनगर

क्र0	वार्ड का नाम	वार्ड की सीमा	वार्ड में सम्मिलित मौहल्लों का नाम	जनगणना अनुसार वर्ष 2011 की जनसंख्या
------	--------------	---------------	------------------------------------	-------------------------------------

1	2	3	4	5
1	देवरिया वार्ड	पूरब :- किशनपुर। पश्चिम :- लालपुर मजार वाली नदी। उत्तर :- ग्राम-मूडगाँवी। दक्षिण :- पुनोपच0-09 (नेशनल हाईवे)	महली देवरिया, चन्दननगर, भूडा, मोहन बोरिया।	1827
2	चुकटी वार्ड	पूरब :- किशनपुर की सरहद पश्चिम :- लालपुर मजार वाली नदी। उत्तर :- पुनोपच0-09 (नेशनल हाईवे) दक्षिण :- ग्राम-सौनरा।	चुकटी, टोल खाजा, वनखण्डी, हरियाली क्षेत्र।	1729
3	सौनरा मलपुरा वार्ड (3)	पूरब :- फीहर नहर की पुलिया पश्चिम :- ग्राम-बडौरा। उत्तर :- ग्राम-चुकटी। दक्षिण :- ग्राम-छिनकी सरहद।	ग्राम सौनरा, मलपुरा।	1539
4	आजादनगर व बंगाली कालीनी वार्ड (4)	पूरब :- खर्वा नाला व ग्राम-सिरौलीकला। पश्चिम :- फीहर नहर उत्तर :- सरस्वती नगर दक्षिण :- ग्राम-छिनकी सरहद व ग्राम-दोपहरिया।	आजादनगर, सुभाषनगर, बंगाली कालीनी, माला फर्की।	2000
5	सिखई वार्ड (5)	पूरब :- हल्दानी रोड। पश्चिम :- सेन्ट पीटर स्कूल की सरहद उत्तर :- ग्राम-खुर्पिया। दक्षिण :- ग्राम-बोहिया।	सिखई, चीनी मिल फर्की व कालीनी, बालाजी पुरम,	2041
6	किशनपुर वार्ड (6)	पूरब :- सेन्ट पीटर स्कूल की सरहद पश्चिम :- ग्राम-देवरिया चुकटी। उत्तर :- ग्राम-खुर्पिया। दक्षिण :- सौनरा	सूरजमल डिग्री कालेज, शानि मन्दिर, नालन्दा स्कूल, इन्दर फर्की, धामशान घाट क्षेत्र।	1800
7	बोहिया वार्ड (7)	पूरब :- हल्दानी रोड। पश्चिम :- ग्राम किशनपुर। उत्तर :- चीनी मिल की सीमा। दक्षिण :- किच्छा शहर (फीहर नहर वल्ली)	रजा नगर, मन्ना समिति, शिव मन्दिर।	4091
8	बोहिया अटल वार्ड (8)	पूरब :- गीला नदी, किच्छा बैराल रोड। पश्चिम :- हल्दानी सेन रोड। उत्तर :- काली मन्दिर बौराहा। दक्षिण :- नगर पालिका किच्छा क्षेत्र।	बोहिया अटल, नमक फर्की, आदेश कालीनी।	3740

गाग 1]	उत्तराखण्ड राजट, 21 सितम्बर, 2024 ई0 (आरपद 30, 1946 शक सम्वत्)	741		
1	2	3	4	5
9	खेव कालीनी वार्ड (9)	पूरव :- गौला नदी । परिवम :- हरेली रोड । उत्तर :- ग्राम बौड्या भट्टा वार्ड की सीमा । दक्षिण :- पुरानी मूडी रोड में रेलवे काटक से आंगी के मकान तक ।	बेदी मोहल्ला, पुरानी गल्ला मूडी ।	3387
10	वहसील वार्ड (10)	पूरव :- हरेली रोड में महाराणा प्रताप चौक से घनश्याम की दुकान तक । परिवम :- सिंगरा सिंह गली । उत्तर :- बौड्या में घनश्याम से सिंगरा सिंह तक । दक्षिण :- किछा-ऊदपुर रोड में मण्डा रोड ।	नगर पालिका, वहसील, टूक यूनियन गली सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गैस एजेंसी ।	3515
11	पन कालीनी एवं उलखिल कालीनी वार्ड (11)	पूरव :- लैफ्ट पाहा नहर । परिवम :- ऊदपुर रोड उत्तर :- सीमा ग्राम-किशनपुर एवं बौड्या । दक्षिण :- ऊदपुर रोड ।	पन मार्ट, पन कालीनी, उलखिल कालीनी, राईस मिल क्षेत्र आदि ।	3974
12	सरखली नगर वार्ड (12)	पूरव :- सीमा वार्ड नं0 10 एवं बरेली रोड परिवम :- ग्राम-सींगरा एवं किशनपुर रोड उत्तर :- ऊदपुर रोड । दक्षिण :- बरेली बार्डप्रास रोड ।	पावर हाउस, सुनहरी मोहल्ला, गुरुद्वारा आवास विकास आदि ।	3824
13	आवास विकास वार्ड (13)	पूरव :- बरेली रोड । परिवम :- ऊदपुर रोड । उत्तर :- वार्ड नं0 09 की सीमा । दक्षिण :- नई सुनहरी मोहल्ला रोड ।	बलवन्त कालीनी,	4148
14	नई सुनहरी वार्ड (14)	पूरव :- लैफ्ट पाहा नहर । परिवम :- बरेली रोड । उत्तर :- राधा स्वामी मार्ग । दक्षिण :- बरेली रोड एवं सरहद ग्राम सिंगरी	नई सुनहरी	3817
15	नयी मोहल्ला वार्ड (15)	पूरव :- लैफ्ट पाहा नहर । परिवम :- वार्ड नं0 11 की सीमा । उत्तर :- नयी मोहल्ला रोड, मो0आ0कलाम आजाद द्वार रोड दक्षिण :- ग्रामसमा सिंगरी की सीमा ।	नई बस्ती, कब्रिस्तान ।	3987
16	कैनाल कालीनी वार्ड (16)	पूरव :- नैनीताल बूक वाली गली । परिवम :- बरेली रोड । उत्तर :- ऊदपुर रोड, रोडवेज से राजकुमार कन्वेन्सरी तक । दक्षिण :- कब्रिस्तान रोड ।	कैनाल कालीनी ।	3391

1	2	3	4	5
17	बोरिंग गली वाड (17)	पूरब:- ओम प्रकाश की दुकानों से कटरिया भवन होते हुए दयाल सिंह के मकान तक। पहिलम:- खुराना मार्केट से हकीम की पुलिया होते हुए नहर किनारे क्यूम के मकान का। उत्तर:- ओम प्रकाश की दुकानों से खुराना मंडिकल तक। दक्षिण:- क्यूम के मकान से दयाल सिंह के मकान तक।	बोरिंग गली सिद्ध मार्केट, पुराना अस्पताल।	3423
18	कालेज वाड (18)	पूरब:- सविता देवी के मकान से सिरोली बाँहडा। सोमा गूल तक पहिलम:- सरकाल की दुकानों से सिरोली सोमा गूल तक। उत्तर:- सविता देवी के मकान से सरकाल की दुकानों तक। दक्षिण:- चन्द शाह के मकान से सिरोली सोमा गूल तक।		3280
19	टीचर्स कालोनी वाड (19)	पूरब:- रेलवे फाटक से सिरोली सोमा गूल तक। पहिलम:- बर्मा ज्वैलर्स से सतीश गूणा के मकान होते हुए नई बस्ती होते हुए सिरोली सोमा पर रुकसाना खार्जन के मकान तक। उत्तर:- रेलवे फाटक से बर्मा ज्वैलर्स तक। दक्षिण:- रेलवे गार्डन किनारे सिरोली सोमा गूल तक। तक पहिलमी कोने से रुकसाना खार्जन के मकान तक।	सिद्ध गली, गनी की टंकी, टीचर्स कालोनी।	3405
20	गुरुद्वारा वाड (20)	पूरब:- किच्छा गीला नदी। पहिलम:- गुरानी बरेली रोड रेलवे गार्डन। उत्तर:- केशव रोड से मिलकी से नदी किनारे मन्दिर तक। दक्षिण:- रघुवंशी फार्म सरहद सिरोलीकाली	शिव मन्दिर, सनावन मन्दिर, भोर आँकिस, टेलीफोन एक्सचेंज हरियाणा फार्म।	2859

आज्ञा से,

प्रदीप कुमार शर्मा,

रप सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 38 हिन्दी गजट/403-भाग 1-2024 (कम्प्यूटर/सीजियो)।

मुद्रक प्रथम प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।



सुप्रीम कोर्ट, भारत

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 21 सितम्बर, 2024 ई० (ग्राहक सं. 30, 1946 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य-विधि, आचार, विनियम इत्यादि विनयित उपायों के सम्बन्ध में, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राज्य परिवहन विभाग

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

August 23, 2024

No. 333/XIV/39/Admin.A/2008--Shri Laxman Singh, the then Chief Judicial Magistrate, Dehradun presently posted as Chief Judicial Magistrate, Pauri Garhwal is hereby sanctioned medical leave for 09 days w.e.f. 23.07.2023 to 31.07.2023.

NOTIFICATION

July 23, 2024
August

No. 334/XIV-a-54/Admin.A/2020--Ms. Upadhi Singh, 1st Additional Civil Judge (Jr. Div.), Roorkee Haridwar is hereby sanctioned maternity leave for 180 days w.e.f. 15.01.2024 to 12.07.2024.

NOTIFICATION

August 23, 2024

No. 335/XIV-a-36/Admin.A-2/2023--Ms. Sonam Rawat, Judicial Magistrate-IV, Dehradun is hereby sanctioned following medical leaves:

1.	w.e.f 02.04.2024 to 09.05.2024 [38 days]
2.	w.e.f 16.05.2024 to 31.05.2024 [16 days]

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,
Sd/-

Registrar (Inspection).

UTTARAKHAND STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY HIGH COURT CAMPUS, NAINITALNOTIFICATION

June 13, 2024

No. 1061/III-A-08/2024/SLSA--Shri Akram Ali, Secretary, District Legal Services Authority Pauri Garhwal is hereby sanctioned earned leave for a period of 10 days w.e.f. 17.05.2024 to 26.05.2024.

NOTIFICATION

July 01, 2024

No. 1266/III-A-04/2024/SLSA--Shri Bhavdeep Ravley, Secretary, District Legal Services Authority Champawat is hereby sanctioned earned leave for a period of 21 days w.e.f. 05.06.2024 to 25.06.2024.

NOTIFICATION

August 24, 2024

No. 1677/III(4)-B/2009-10/2024/SLSA--Sri Brijendra Singh, Chairman, Permanent Lok Adalat, Udhampur Singh Nagar is hereby sanctioned medical leave for a period of 86 days w.e.f. 20.05.2024 to 13.08.2024.

By Order of the Hon'ble Executive Chairman,

Sd/-

PRADEEP KUMAR MANI,

Member-Secretary.

OFFICE OF THE DISTRICT LEGAL SERVICES AUTHORITY, PITHORAGARHCERTIFICATE OF TAKING OVER CHARGE

May 17, 2024

Letter No. 325/DLSA-/2024--Certified that the office of the Secretary, District Legal Services Authority, Pithoragarh was taken over under the orders of Hon'ble High Court of Uttarakhand, Nainital and Hon'ble Uttarakhand State Legal Services Authority, Nainital vide notification no. 120/UHC/Admin. A-2/2024, dated April 23, 2024 and notification no. 716/III-A-9/SLSA/2024 dated May 07, 2024, respectively, as hereinafter denoted, in the forenoon of May 17, 2024.

MANJU DEVI,

Secretary,

District Legal Services Authority,

Pithoragarh.

Counter-signed.

Illegible,

District Judge/Chairman,

District Legal Services Authority.

Pithoragarh.

पीठौरागढ़ (आर०ई०) 38 दिवसी गजट/403-भाग 1-क-2024 (कमिटर/पिथौरा)।

युद्धक पक्ष प्रकाशक-आपरे निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

संख्या 382/वि0पंचायत0निर्वाह-2024-राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून की अधिसूचना संख्या-881/रा0नि0आ0अज0-2/4219/2024 देहरादून, दिनांक 19.09.2024 के क्रम में विरलक्षीय पंचायतों के सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य, क्षेत्र पंचायत एवं सदस्य जिला पंचायत के अधिसूचना जारी होने की तिथि तक ऐसे पद/स्थान, जो कि निर्वाचित प्रतिनिधियों की मृत्यु, त्याग-पत्र अथवा नामांकन न होने व अन्य कारण से रिक्त है तथा जो किसी न्यायालय के स्थान आदेश से बाधित न हों, पर उप निर्वाचन कराया जाना है। अतः मैं, कर्मन्द् सिंह जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) हरिद्वार प्रदल शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद्द्वारा निर्देश देता हूँ कि ऐसे सभी रिक्त पदों/स्थानों पर उप निर्वाचन निम्नांकित विनिर्दिष्ट निम्नलिखित समय-सारिणी के अनुसार सम्पन्न कराये जायेंगे :-

20 सितम्बर, 2024 ई0

सूचना

हरिद्वार

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी, (पंचायत) चनावाला

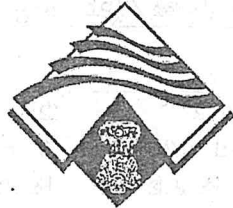
स्वायत्त शासन विभाग का कोड-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीकाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीरज आदि के निर्देश लिखे विभिन्न आशुक्लों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया

भाग 3

रुड़की, शनिवार, दिनांक 21 सितम्बर, 2024 ई0 (भादपद 30, 1946 शक संभव)

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड



नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने का दिनांक व समय	1	24.09.2024 एवं 25.09.2024 (पूर्वाह्न: 10.00 बजे से अपराह्न: 05.00 बजे तक)	नाम निर्देशन पत्रों की जांच का दिनांक व समय	2	26.09.2024(पूर्वाह्न: 10.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	नाम घोषणा हेतु दिनांक व समय	3	27.09.2024 (पूर्वाह्न: 10.00 बजे से अपराह्न: 03.00 बजे तक)	निर्वाचन प्रतीक आवहन का दिनांक व समय	4	27.09.2024 (अपराह्न: 03.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	मतदान का दिनांक व समय	5	08.10.2024 (पूर्वाह्न: 08.00 बजे से अपराह्न: 05.00 बजे तक)	मतगणना का दिनांक व समय	6	10.10.2024 (पूर्वाह्न: 08.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)
--	---	---	---	---	--	-----------------------------------	---	--	---	---	--	--------------------------	---	---	------------------------------	---	--

विकासखण्ड	का नाम	विक्रत पदों/स्थानों की कुल संख्या			विक्रत पदों/स्थानों की कुल संख्या		
		सदस्य ग्राम पंचायत	प्रधान ग्राम पंचायत	सदस्य क्षेत्र पंचायत	सदस्य जिला पंचायत	सदस्य	क्षेत्र
1	2	3	4	5	6	7	8
बहादुरगढ़	00	01	01	01	01	—	—
खानपुर	02	01	—	—	—	—	—
भगवानपुर	02	—	—	01	—	—	—
नारसन	02	01	—	—	—	—	—
लक्षर	02	—	—	—	—	—	—
योग-1	08	03	02	—	—	—	—

उक्त उपनिर्वाचन उत्तराखण्ड पंचायती राज अधिनियम, 2016 (प्रशासकीय) के अधीन रहते हुए 3050 पंचायत राज (सरसू), प्रधानों और उप प्रधानों का निर्वाचन) नियमावली, 1994 (उत्तराखण्ड में प्रशासकीय) एवं 3050 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (सरसू) का निर्वाचन) नियमावली, 1994 (उत्तराखण्ड में प्रशासकीय) में वर्णित प्रावधानों तथा सदस्य ग्राम पंचायत एवं प्रधान ग्राम पंचायत हेतु रिट याचिका संख्या 2302 (एम0/एस0)/2019 श्रीमती प्रीती देवी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा10 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड में जीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.09.2019 और सदस्य क्षेत्र पंचायत हेतु रिट याचिका संख्या-441 (एम0/एस0)/2020 मा10 यूजस बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में मा10 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, जैनीताल द्वारा पारित निर्णय दिनांक-21.09.2020 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए इन उप निर्वाचन में वही निर्वाचन-प्रक्रिया अपनाई जायेगी। जो आयोग द्वारा निर्धारित एवं निर्दिष्ट है। इन पदों/स्थानों के विषय में नामांकन पर दाखिल करने, उनकी जांच, नाम घोषणा तथा निर्वाचन प्रतीक आवंटित करने का कार्य, मतों की गणना एवं परिणाम की घोषणा क्षेत्र पंचायत के मुख्यालय (विकासखण्ड स्तर) पर की जायेगी।

संलग्न- (विक्रत पदों की सूची)

स्थान- हरिद्वार।

दिनांक- 19.09.2024

कमल सिंह,
जिला मजिस्ट्रेट/
जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)
हरिद्वार।

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचायत हरिद्वार

सूचना

20 सितम्बर, 2024 ई0

संख्या 383/वि0पंचायतनिर्वा0-2024-25-राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून की अधिसूचना संख्या-882/रा0नि0आ0अनू.-2/4219/2024 देहरादून, दिनांक 19.09.2024 द्वारा राज्य की ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों के निर्वाचन का कार्यक्रम अधिसूचित किया गया है। उक्त अधिसूचना राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जनपद के सम्बन्धित समस्त निर्वाचन क्षेत्रों में विनम्र निर्वाचन कराये जा रहे हैं, के सम्बन्धित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता सूचना जारी होने की तिथि दिनांक 20.09.2024 से दिनांक 10.10.2024 (सलगगना समाप्ति) तक प्रभावी की जाती है।

स्मान-हरिद्वार।

दिनांक-20.09.2024

कर्मन्द् सिंह,

जिला मजिस्ट्रेट/

जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)

हरिद्वार।

कार्यालय जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी (रा0नि0) देहरादून

नगर निगम, देहरादून निर्वाचक नामावली का विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम-2024

सूचना

05 सितम्बर, 2024 ई0

पत्रांक-306/रा0नि0/वि0 पुनरीक्षण/2023-24-राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून की अधिसूचना संख्या-753/रा0नि0आ0-3/1260/2023 दिनांक 03 सितम्बर, 2024 के द्वारा पुनर्परिशीमन होने के कारण नगर निगम देहरादून की निर्वाचक नामावली का विशेष पुनरीक्षण कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः भारत का संविधान के अनुच्छेद 243-य क के अन्तर्गत एवं उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त एवं यथा संशोधित)की धारा 35 एवं उत्तर प्रदेश नगर निगम (निर्वाचक नामावली का तैयार किया जाना और पुनरीक्षण)नियमावली 1994 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त एवं यथा संशोधित) के नियम-18 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, सविन बंसल, जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (रा0नि0) जनपद देहरादून के नगर निगम, देहरादून की निर्वाचक नामावली का विशेष पुनरीक्षण समग्र-सारणी के अनुसार कराये जाने के निर्देश देती हूँ। इस नामावली का विशेष पुनरीक्षण निर्धारित समय-सारणी के अनुसार कराये जाने के निर्देश देती हूँ। इस पुनरीक्षण में नगर निगम, देहरादून की प्रचलित निर्वाचक नामावली के वार्डों की पुनर्परिशीमन के अनुसार व्यवस्थित की जायेगी :-

कार्यक्रम		दिनांक	अवधि
1-पूर्व में बनायी गयी निर्वाचक नामावलिओं से नये परिसीमन के अनुसार वाडवार मतदाताओं को चिन्हित कर नामावली को व्यवस्थित करना।	अनुसार वाडवार मतदाताओं को चिन्हित कर नामावली को व्यवस्थित करना।	05.09.2024 से 14.09.2024 तक	10 दिन
2-व्यवस्थित निर्वाचक नामावलिओं के अनुसार मतदाताओं को सौंपदेवर पर वाडवार छिपट करना एवं फोटो स्टट	सौंपदेवर पर वाडवार छिपट करना एवं फोटो स्टट	15.09.2024 से 24.09.2024 तक	10 दिन
3-मुद्रित निर्वाचक नामावलिओं का आलेख प्रकाशन		25.09.2024	—
4-निर्वाचक नामावलिओं के आलेख का निरीक्षण तथा दावे/आपत्तियाँ प्राप्त करना।		26.09.2024 से 03.10.2024 तक	07 दिन
5-दावे तथा आपत्तियों का निरस्तारण		04.10.2024 से 06.10.2024 तक	03 दिन
6-पूरक सूचियों की तैयारी/हाटा एन्ट्री एवं फोटो स्टट		07.10.2024 से 09.10.2024 तक	03 दिन
7-निर्वाचक नामावलिओं का जनसामान्य के लिए आन्तिम प्रकाशन		10.10.2024	—

2-जिला निर्वाचक एजिस्ट्रीकरण अधिकारी, निर्वाचक एजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक एजिस्ट्रीकरण अधिकारी (स्थानीय निकाय), नगर निगम, देहरादून द्वारा अपने उचित निकाय की मददाला सूचियों को व्यवस्थित किसे जाने विषयक कार्यक्रम का स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायेगा तथा सावजनिक जानकारी हेतु संबंधित क्षेत्र के समस्त कार्यालयों के सूचना पट्टों पर भी यह कार्यक्रम प्रकाशित किसे जायेगा। सर्वसाधारण की जानकारी से यह तथ्य भी ला किसे जायेगा कि निर्वाचक एजिस्ट्रीकरण अधिकारी के विनिश्चय के विरुद्ध, अपील अध्यादेशाधी की इस प्रतिबन्ध के साथ ग्राह्य होगी कि अपील करने के इच्छुक व्यक्ति ने उस मामले पर जो अपील की विषय-वस्तु है, निर्वाचक एजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सूने जाने या उसकी अप्यावेदन प्रस्तुत करने का नाम उठाया है और यह अपील उत्तर प्रदेश नगर निगम (निर्वाचक नामावली का तैयार किया जाना और पुनरीक्षण) नियमावली, 1994 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त एवं यथा संशोधित) नियम-20 (1) (2) के अधीन दापर की गयी है।

3-उपयुक्त पुनरीक्षण हेतु निर्वाचकों की सन्धर्ष तिथि 01 जनवरी, 2024 निर्धारित की जाती है, नगर निगम, देहरादून की निर्वाचक नामावलिओं का विशेष पुनरीक्षण किया जायेगा। प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के उन सभी व्यक्तिों के नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किसे जायेगा जो 01 जनवरी, 2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं। विशेष पुनरीक्षण के पश्चात तैयार निर्वाचक नामावलियां ही आगामी सामान्य/उप निर्वाचनों में प्रयुक्त की जायेगी।

सचिव बंसल,
जिला मजिस्ट्रेट/
जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानिक),
देहरादून।

विभा-उद्गम।

प्रा०३१० विरवाटिया तहसील जखोली

निवासी ग्राम तखर लखा

कीर्तन सिंह पुत्र श्री समन सिंह

समस्त विधिक औपचारिकताएँ भरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

के नाम से जना समझा व पुकारा जायेगा।

उपनाम हटकर "कीर्तन सिंह" कर लिया है शिवाय मैं समस्त प्रयोजनों हेतु मुझे कीर्तन सिंह पुत्र श्री समन सिंह सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैंने अपना नाम कीर्तन सिंह ठूटोला (पुराना नाम) से अपना

सूचना

आशुतोष नगर अधीकेश, देहरादून।

निवासी-180/1 नेहरू मार्ग,

बन्धकेश पुत्र स्व. राम सनेही

समस्त विधिक औपचारिकताएँ भरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

नाम बन्धकेश है। शिवाय मैं मुझे बन्धकेश पुत्र स्व. राम सनेही के नाम से जना पहचाना व पुकारा जाए। भरे आएंगे कार्ड नं. 457338615337 में मेरी नाम जगत नारायण दत्त हो गया है। जबकि मेरी वास्तविक

सूचना

सूचना एवं अन्य वैधानिक विज्ञापन आदि

भाग 8

रुड़की, शनिवार, दिनांक 21 सितम्बर, 2024 ई० (आदिपद 30, 1946 शाक समवत्)

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड



कार्यालय नगर पालिका परिषद् पिथौरागढ़

सार्वजनिक सूचना

11 अगस्त, 2024 ई0

पत्रांक सं0 517/एन0पी0/5-रा0अज0/2023-24 दिनांक 27.07.2023 द्वारा उपविधि-2022-23/नगर पालिका परिषद्, पिथौरागढ़, नगर पालिका परिषद्, पिथौरागढ़ (उत्तराखण्ड यथाप्रवृत्त) की उपधारा-2 खण्ड (ख) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, नगर पालिका परिषद्, पिथौरागढ़ द्वारा नगरपालिका परिषद अधिनियम, 1916 की धारा-126 की उपधारा-1(i) एवं धारा-294 के तहत विभिन्न व्यापार और आजीविका पर लाइसेन्स शुल्क आरोपित करने के उद्देश्य से विभिन्न व्यवसायों हेतु, व्यवसायिक लाइसेन्स एवं शुल्क वसूली उपविधि-2022' बनाई जाती है, जो नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा-301 (1) के अन्तर्गत जनसामान्य एवं जिन पर इस उपविधि का प्रभाव पड़ने वाला हो, उनसे दैनिक समाचार पत्र दैनिक जगदगण एवं हिन्दुस्तान के माध्यम से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये गये थे। जिस हेतु 30 दिन का समय निर्धारित किया गया था, परन्तु निर्धारित अवधि के अन्तर्गत कोई भी आपत्ति एवं सुझाव कार्यालय को प्राप्त नहीं हुए है।

सम्यक् विचार उपरान्त नगर पालिका अधिनियम की धाराओं के अन्तर्गत यह उपविधि शासकीय गजट में प्रकाशित की जाती है।

"व्यवसायिक लाइसेन्स एवं शुल्क वसूली उपविधि, 2022"

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ:-

1. यह उपविधि नगरपालिका परिषद्, पिथौरागढ़ "व्यवसायिक शुल्क वसूली उपविधि कहलायेगी।
2. यह उपविधि नगरपालिका परिषद्, पिथौरागढ़, की सीमा में प्रवृत्त होगी।
3. यह उपविधि नगरपालिका परिषद्, पिथौरागढ़ द्वारा प्रख्यापित तथा शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषा:-

किसी विषय या प्रसंग से कोई वादा प्रतिकूल न होने पर इस उपविधि में:-

1. 'नगरपालिका' का तात्पर्य, नगरपालिका परिषद् पिथौरागढ़ से है।
2. 'सीमा' का तात्पर्य, नगरपालिका परिषद् पिथौरागढ़ की सीमाओं से है।
3. 'अधिराशी अधिकारी' का तात्पर्य, अधिराशी अधिकारी, नगरपालिका परिषद् पिथौरागढ़ से है।
4. 'अध्यक्ष' का तात्पर्य, नगरपालिका परिषद् पिथौरागढ़ के अध्यक्ष से है।
5. 'बोर्ड' का तात्पर्य, नगरपालिका परिषद् पिथौरागढ़ के निर्वाचित अध्यक्ष/सदस्यों से है।
6. 'अधिनियम (8)' का तात्पर्य, उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) संशोधन एवं उपात्तरण आदेश-2002 से है।
7. लाइसेन्स का तात्पर्य, नगरपालिका परिषद् पिथौरागढ़ की सीमान्तर्गत किए जाने वाले विभिन्न व्यापार और आजीविका के लाइसेन्स दिये जाने एवं उनसे निर्धारित वसूली से है।
8. 'अवधि' का तात्पर्य, प्रत्येक वित्तीय वर्ष अथवा एक वर्ष के लिये, तक दिये जाने वाले व्यवसायिक लाइसेन्स से है।

3. लाइसेन्स आवेदक द्वारा लाइसेन्स प्राप्त करने हेतु आवेदन-पत्र के साथ दो फोटो (पासपोर्ट साइज) खींची होनी तथा आवेदन में व्यवसाय का मद एवं विवरण भी देना होगा।

4. प्राप्त आवेदन-पत्र पर नगरपालिका द्वारा समुचित विचारोपरान्त 15 दिवस के अन्दर शुल्क लेकर लाइसेन्स दिए जाने का निर्णय लिया जाएगा, जिसकी सूचना आवेदक को दी जायेगी।

5. सूची में वर्णित व्यवसायिक लाइसेन्स 01 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि के बीच व्यवसायों द्वारा प्रत्येक दशा में बनाया जाना अनिवार्य होगा। इस लाइसेन्स की अवधि 01 अप्रैल से 31 मार्च (एक वित्तीय वर्ष) तक वैध होगी। अन्यथा स्थिति में विलम्ब शुल्क, जो 10 प्रतिशत लाइसेन्स अधिकारी द्वारा निर्धारित करते हुए वर्सूला जायेगा।

6. लाइसेन्स जारी करने का अधिकार अधिशासी अधिकारी में निहित होगा।

7. जांचकर्ता के जाँच के समय व्यवसाय के संबंधित सभी प्रकार की सूचना उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व आवेदनकर्ता का होगा।

8. लाइसेन्स अधिकारी स्वयं अथवा अपनी एजेंसी, अधिकारी/कर्मचारी द्वारा जाँच का कार्य सम्पादित करा सकता है, जो नगरपालिका के कर निरीक्षक स्तर से कम नहीं होगा।

9. लाइसेन्स धारक अपना व्यवसाय बदलता है या स्थान परिवर्तन करता है तो उसकी सूचना अनिवार्य रूप से एक माह के अन्दर नगरपालिका में अपने पुराने लाइसेन्स विवरण के साथ लिखित रूप से उपलब्ध कराना होगा।

10. उक्त सूची में वर्णित लाइसेन्सों के नियमों का उल्लंघन होने की दशा में लाइसेन्स अधिकारी जनहील में किसी भी समय लाइसेन्स निरस्त कर सकता है। लाइसेन्स अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करता है, तो उस अपील की सुनवाई का अधिकार अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, पिथौरागढ़ में निहित होगा।

11. जो व्यापारी/व्यक्ति लाइसेन्स नहीं बनाता है जो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते हुए बकाया लाइसेन्स की धनराशि की वर्सूली 10 प्रतिशत भू-राजस्व के रूप में वर्सूली हेतु वर्सूली प्रमाण-पत्र (आर0 सी0), जिलाधिकारी को प्रेषित कर दी जायेगी।

12. नगर पालिका द्वारा सभी व्यवसाय शुल्क प्रमाण का विक्रय किसी अन्य व्यक्ति/संस्था को हस्तगत नहीं किया जा सकता। उसका उपयोग उसी व्यक्ति/संस्था द्वारा किया जा सकेगा जिसके लिये जारी किया गया है।

रेंट लिस्ट

क्र०	कैटेगरी	रेंट का नाम	लाइसेन्स शुल्क / नवीनीकरण शुल्क	आवदन शुल्क	विवरण शुल्क
1	मंडिकल	ग्राइवेट क्लीनिक	1000.00	10.00	प्रतिमाह 100.00
2		पैथोलॉजी लैब	2000.00	10.00	100.00
3		नर्सिंग होम	15000.00	10.00	100.00
4		एक्स रे / इम्युनोस्टिक / अल्ट्रासाउण्ड	2000.00	10.00	100.00
5		डेंटल क्लीनिक	2000.00	10.00	100.00
6		आयुर्वेदिक स्पा	500.00	10.00	100.00
7	होटल	बैंकट हॉल	20000.00	10.00	100.00
8		होटल 10 बैड तक	2000.00	10.00	100.00
9		होटल 20 बैड तक	10000.00	10.00	100.00
10		होटल एवं रेस्टोरेंट 30 बैड तक	12000.00	10.00	100.00
11		होटल एवं रेस्टोरेंट 30 बैड से उपर	30000.00	10.00	100.00
12	रेस्टोरेंट	बिस्कुट बेकरी	1500.00	10.00	100.00
13		खानपान	700.00	10.00	100.00
14		ढाबा	200.00	10.00	100.00
15		बार रेस्टोरेंट	1000.00	10.00	100.00
16	पेजेंट	पेजेंट रूम	4000.00	10.00	100.00
17		कृत्रिम गैस	6000.00	10.00	100.00
18		अन्य पैट्रोलियम पंप	2000.00	10.00	100.00
19	दुकान	किराना छोटी दुकान	300.00	10.00	100.00
20		किराना बड़ी दुकान	1200.00	10.00	100.00
21		फल सब्जी दुकान	500.00	10.00	100.00
22		शोक/आवत फल सब्जी	3000.00	10.00	100.00
23		फिजियन मसाला/दुकान	500.00	10.00	100.00
24		रेडियारी छोटी	100.00	10.00	100.00

25		रक्षणार्थी बड़ी	500.00	10.00	100.00
26		जेलर्स कारीगर 2 कारीगर	1000.00	10.00	100.00
27		जेलर्स कारीगर 3 से 4	1500.00	10.00	100.00
28		जेलर्स कारीगर 4 से अधिक	4000.00	10.00	100.00
29		मिलाई हावस जैटस	500.00	10.00	100.00
30		मिलाई हावस लेडिज	400.00	10.00	100.00
31		मोबाइल शॉप छोटी	500.00	10.00	100.00
32		मोबाइल शॉप बड़ी	1000.00	10.00	100.00
33		इलेक्ट्रोनियस	500.00	10.00	100.00
34		टेलीविजन/एयर कंडीशनर	500.00	10.00	100.00
35		टैट हावस	2000.00	10.00	100.00
36		कबल/हिश टीवी ऑपरेटर	2000.00	10.00	100.00
37		शूज/फुटवेयर छोटी	500.00	10.00	100.00
38		शूज/फुटवेयर बड़ी	1000.00	10.00	100.00
39		कपड़ा और तालिया	1000.00	10.00	100.00
40		हैयर सीलन/पालर	1000.00	10.00	100.00
41		बूटी विक्रेता	500.00	10.00	100.00
42		वाय रिपेयर/सेलर	500.00	10.00	100.00
43		फोटो/स्टूडियो	1000.00	10.00	100.00
44		करंटेशन एवं लिडिंग मैटेरियल विक्रेता	2000.00	10.00	100.00
45		ढोल खानि	500.00	10.00	100.00
46		साइबर कैंफ	500.00	10.00	100.00
47		कम्प्यूटर हाईड्रेयर/सॉफ्टवेयर	1000.00	10.00	100.00
48		डैटर/पेंटर	2500.00	10.00	100.00
49	खराब	विदेशी महिला दुकान	25000.00	10.00	100.00
50		देशी महिला दुकान	15000.00	10.00	100.00
51	वर्कशॉप	आर्य मशीन	4000.00	10.00	100.00

52	बैलिंग मशीन बर्क	2000.00	10.00	100.00
53	पदार्थ मरम्मत द्रव्य	300.00	10.00	100.00
54	कबाड़ व्यवस्थाप्य छोटी	2000.00	10.00	100.00
55	कबाड़ व्यवस्थाप्य बड़ी	5000.00	10.00	100.00
56	एल्यूमीनियम/लोहा/बैलिंग	2500.00	10.00	100.00
57	सिलाई उद्योग	2000.00	10.00	100.00
58	चूँस उद्योग	2000.00	10.00	100.00
59	लोहा उद्योग	4000.00	10.00	100.00
60	पतैकसी उद्योग	2000.00	10.00	100.00
61	वाहनो घुमाई सेंटर	500.00	10.00	100.00
62	वाहन के स्प्रिंग परीक्षण द्रव्य	1000.00	10.00	100.00
63	रॉटी बैक	पान/सिगरेट फ़ैब्रिका/चाय	300.00	10.00
64	वाइब्रेटो	कपास शीप छोटी	3000.00	10.00
65		कपास शीप बड़ी	5000.00	10.00
66		कपास शीप पल्लो	3000.00	10.00
67		गुनी शीप छोटी	1000.00	10.00
68		गुनी शीप बड़ी	3000.00	10.00
69		मछली शीप	2000.00	10.00
70		अण्डा शीप	300.00	10.00
71		सुआर शीप	2000.00	10.00
72		धी/दूध/डेयरी	500.00	10.00
73		गुनी गाड़ी	2000.00	10.00
74	फ़र्ष	विज्ञापन	10000.00	10.00
75		गोबर्दा टायर	2000.00	10.00
76		बिस्किट	2000.00	10.00
77	पैकेज्ड टॉपिंग	रफ़्टर एवनी	2000.00	10.00
78		मोटर एवनी	5000.00	10.00
79		बैलिंग सेंटर	2000.00	10.00

80		शोकम	5000.00	10.00	100.00
81	बैंकिंग	काइनेन्स/चिट फण्ड	5,000.00	10.00	100.00
82		बीमा कम्पनी	5000.00	10.00	100.00
83	फनीवर हाउस	बाडिह	5000.00	10.00	100.00
84		नोन बाडिह	1000.00	10.00	100.00
85	अन्य	लेबर	500.00	10.00	100.00
86		मिस्त्री	1000.00	10.00	100.00
87		लभर/इलेक्ट्रिशियन/पेन्टर	1000.00	10.00	100.00
88		किताबी की शोक दुकान	1000.00	10.00	100.00
89		किताबी की फुटकर दुकान	100.00	10.00	100.00
90		विशामन बोर्ड	500.00	10.00	100.00
91		साइन बोर्ड/बैनर मेकर	300.00	10.00	100.00
92		कोरिगन पेन्टर	1000.00	10.00	100.00
93		कम्प्युटर डिजिटल कन्ट	1000.00	10.00	100.00
94		पालतू पशु कुल्ला/गम/बैस	100.00	10.00	100.00
95		ग्राइटर स्कूल	15000.00	10.00	100.00
96		बर्तन की दुकान	500.00	10.00	100.00
97		सटलिग स्टोर	1000.00	10.00	100.00

दण्ड

उत्तराखण्ड में प्रदत्त नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 299(1) द्वारा प्रदत्त अधिकारी का प्रयोग करके नगरपालिका प्रशासन में एनड्रॉप आदेश देती है कि उपर्युक्त उपनियम की किसी भी धारा का उल्लंघन करने पर अर्थात् लिखा जायेगा, जो 5000.00 रु0 (पांच हजार रुपया) तक हो सकता है, तथा निरन्तर उल्लंघन होने की दशा में अपराध सिद्ध होने की तिथि से 100.00 रु0 (एक सौ रुपया) प्रतिदिन के हिसाब से और अर्थात् लिखा जा सकता है।

राजदेव जायसी,

अध्यासी अधिकारी,

नगर पालिका परिषद, पिथौरागढ़।

राजेश सिंह रावत,

अध्यक्ष,

नगर पालिका परिषद, पिथौरागढ़।

पी0एस0ई0 (आर0ई0) 38 हिन्दी राजट/403-भाग 8-2024 (कम्प्युटर/टीविया)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।